

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, सागर

डेयरी प्लांट-नरसिंहपुर रोड, सिरौंजा सागर (म.प्र.)

दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के समस्त जिले सागर, छतरपुर, दमोह, टीकमगढ़, पन्ना, निवाडी, अशोकनगर, ललितपुर, झांसी (उ.प्र.) के सांची वितरकों को सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय तथा विररण के लिए जिलावार पृथक-पृथक अथवा कार्यक्षेत्र के समस्त जिलों हेतु सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता नियुक्ति के लिए प्रथम ई-निविदा प्रपत्र के संदर्भ में

शुद्धि पत्र (द्वितीय) (Corrigendum IInd)

बुन्देलखण्ड सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित सागर के सांची दुग्ध वितरकों को सांची दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय तथा वितरण कार्य हेतु जिलेवार सुपरस्टॉकिस्ट सह-परिवहनकर्ता की नियुक्ति के लिए प्रथम ई-निविदा सूचना क्रमांक 241/विपणन/बु.स.दु.सं./सागर दिनांक 25/04/2022 का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया जाकर निर्धारित प्रारूप में निविदायें आमंत्रित की गई थी। निविदा प्रपत्र क्रमांक 04 – की अनुबंध पत्र की कंडिका/शर्त क्रमांक 17 अनुसार – दुग्ध संघ द्वारा शासकीय संस्थाओं/स्टॉफ विक्रय/प्राइवेट संस्था को बल्क विक्रय/प्रदाय दूध, दुग्ध पदार्थ एवं घी की मात्रा पर सुपरस्टॉकिस्ट को कोई मार्जिन नहीं दिया जाएगा, यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि सुपरस्टॉकिस्ट से वसूल की जाएगी।

संशोधन:- शासकीय संस्थाओं जैसे शासकीय अस्पताल, जेल, नवोदय विद्यालय, शासकीय छात्रावास, सागर आर्मी, ढाना आर्मी, नौगांव आर्मी एवं बल्क मिल्क विक्रय विशेष अवसर पर दुग्ध संघ के सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र हेतु जो निविदा में प्रकाशित की गई है, उस पर सुपरस्टॉकिस्ट को दुग्ध परिवहन राशि रु. 1/- प्रति लीटर देय होगा।

मुख्यकार्यपालन अधिकारी